भीम

COVID-19
#राजस्थान_सतर्क_है

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय / कोरोना / 2020 / 12181 दिनांक:- 24-11-20

:: आदेश ::

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में निषेधाज्ञा)

शासन सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 33(02)गृह-9 / 2019 पार्ट जयपुर दिनांक 19.11.2020 द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण की गम्भीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा को लगातार बने हुए खतरे एवं इसकी रोकथाम हेतु कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आंकलन के मध्येनजर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया है।

अतः मैं नन्नूमल पहाड़िया (I.A.S.) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 19.11.2020 के अनुसरण एवं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं में तत्काल प्रभाव से **दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि-**

1. बिना अनुमति / सूचना के सार्वजनिक स्थानों यथा दुकानों, बाजारों, धार्मिक स्थान, सामाजिक स्थान, इत्यादि पर 5 व 5 से अधिक व्यक्तियों के इकटठा / भीड होने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध रहेगा।
2. सभी सर्वसाधारण आमजन विशेष का **बिना फेस मास्क / फेस कवर** के आगमन-निर्गमन / परिवहन / आयोजन / कार्यक्रम आदि पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगा। सोशल डिस्टेन्सिंग (एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी) रखना अनिवार्य होगा।
3. दुकाने / बाजार / ग्रामीण हॉट बाजार मे बिना किसी कारण के आगमन-निर्गमन पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध रहेगा।
4. सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क / कवर पहनना अनिवार्य होगा। "नो-मास्क नो-एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, विवाह या दाह संस्कार / अंतिम संस्कार से भिन्न कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक या किसी अन्य प्रकार के लोक या सामान्य समारोह या जमाव का आयोजन करना व उसमें भाग लेना प्रतिबन्धित होगा।
6. विवाह समारोह विवाह से पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचना दिये बिना आयोजित नही किये जायेंगे। शादी समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 100 से अधिक व्यक्ति अनुमत नही होंगें।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक पं. 33(2)गृह-9 / 2019 जयपुर दिनांक 24.06.2020 द्वारा सामाजिक दूरी (Social Distancing) व अन्य एहतियाती उपायों की अनुपालना हेतु एवं परेशानी मुक्त (Hassle Free) आवागमन हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धित है-
   - मुख्य सडकों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबन्ध।
   - मुख्य सडको पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डी.जे. के बजाने पर प्रतिबन्ध।
   - मुख्य सडकों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिबन्ध।

8. अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्ति अनुमत नही होगें।
9. उक्त प्रतिबन्ध निर्वाचन प्रकिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थानो, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले स्थानो पर लागू नही होगा।
10. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा।
11. उक्त आदेश की पालना नही करना दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
12. उक्त आदेश की पालना करवाए जाने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा।

चूँकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं हैं । अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण को सवाई माधोपुर जिले के मुख्य मुख्य स्थानों पर इस आदेश की चस्पा कर,ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिको को सूचित किया जावें ।

उक्त निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.11.2020 से अग्रिम आदेशो तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया जाता है।

24.11.20

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/12182-93 दिनांकः– 24-11-2020

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर
3. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर
4. उप महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट------------------राजस्थान

प्रतिलिपि–निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

6. पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर
7. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी
8. प्रभारी अधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/वॉर–रूम कार्यालय हाजा
9. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट ----------------जिला सवाई माधोपुर
10. समस्त तहसीलदार ....जिला सवाई माधोपुर
11. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण......................................सवाई माधोपुर।
12. सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी सवाई माधोपुर

24.11.2020

जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर